



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274163
CG-DL-E-06072026-274163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3393]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3528(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH-354 के कि.मी. 0 से कि.मी. 44.154 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सड़क अमृतसर-II को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH-354 के कि.मी. 0 से कि.मी. 44.154 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: अमृतसर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अमृतसर- II					
गांव का नाम: चब्बा					
1	347	निजी	गैर मुमकिन	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
2	36//11	निजी	कृषि	0.0733 (हेक्टेयर)	0.0733
3	36//12	निजी	कृषि	0.0379 (हेक्टेयर)	0.0379
4	36//19	निजी	कृषि	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
5	36//20	निजी	कृषि	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
6	37//15	निजी	कृषि	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
7	37//16/1	निजी	कृषि	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
8	37//16/2/1	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
9	37//16/2/2	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
10	37//17/1/1	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.1113 (हेक्टेयर)	0.1113
11	37//17/1/2	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0683 (हेक्टेयर)	0.0683
12	37//17/2	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
13	37//18/1	निजी	गैर मुमकिन खली	0.1416 (हेक्टेयर)	0.1416
14	37//18/2	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607

15	37//19/1	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
16	37//19/2	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.1163 (हेक्टेयर)	0.1163
17	37//19/3	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0455 (हेक्टेयर)	0.0455
18	37//19/4	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
19	37//19/5	निजी	गैर मुमकिन गुरद्वारा साहिब	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
20	37//20/1/1	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
21	37//20/1/2	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
22	37//20/1/3	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
23	37//20/2/1	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
24	37//20/2/2	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
25	37//20/2/3	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
26	37//20/3/1	निजी	गैर मुमकिन प्लॉट/पेट्रोल पम्प	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
27	37//20/3/2	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
28	37//20/3/3	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
29	38//14	निजी	गैर मुमकिन	0.0278 (हेक्टेयर)	0.0278
30	38//15	निजी	गैर मुमकिन कारखाना	0.0455 (हेक्टेयर)	0.0455
31	38//16	निजी	गैर मुमकिन	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228

गांव का नाम: मंडिआला

32	10//26	निजी	गैर मुमकिन	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
गांव का नाम: ठंडा					
33	47//7/2	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
34	47//8	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
गांव का नाम: रामपुरा (362)					
35	45//19	निजी	कृषि	0.0123 (हेक्टेयर)	0.0123
36	45//2	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
37	47//3	निजी	कृषि	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
गांव का नाम: कुमानियं (364)					
38	39//2	निजी	कृषि	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
39	4//19	निजी	कृषि	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
गांव का नाम: चक मुकंद					
40	13//2	निजी	कृषि	0.0109 (हेक्टेयर)	0.0109
41	13//22	निजी	कृषि	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
Total					1.3658

[फा. सं. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3528(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-354 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.154 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM Amritsar-II in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-354 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.154 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			District: AMRITSAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Amritsar- II					
Village: Chabba (267)					
1	347	Private	Gair Mumkin	0.0076 (Hectare)	0.0076
2	36//11	Private	Agriculture	0.0733 (Hectare)	0.0733
3	36//12	Private	Agriculture	0.0379 (Hectare)	0.0379
4	36//19	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
5	36//20	Private	Agriculture	0.086 (Hectare)	0.086
6	37//15	Private	Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076
7	37//16/1	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
8	37//16/2/1	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
9	37//16/2/2	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0152 (Hectare)	0.0152
10	37//17/1/1	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.1113 (Hectare)	0.1113
11	37//17/1/2	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0683 (Hectare)	0.0683
12	37//17/2	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0228 (Hectare)	0.0228
13	37//18/1	Private	Gair Mumkin Khali	0.1416 (Hectare)	0.1416
14	37//18/2	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0607 (Hectare)	0.0607
15	37//19/1	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0202 (Hectare)	0.0202
16	37//19/2	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.1163 (Hectare)	0.1163

17	37//19/3	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0455 (Hectare)	0.0455
18	37//19/4	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0051 (Hectare)	0.0051
19	37//19/5	Private	Gair Mumkin Gurdwara Sahib	0.0152 (Hectare)	0.0152
20	37//20/1/1	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0076 (Hectare)	0.0076
21	37//20/1/2	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0076 (Hectare)	0.0076
22	37//20/1/3	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0126 (Hectare)	0.0126
23	37//20/2/1	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0202 (Hectare)	0.0202
24	37//20/2/2	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0228 (Hectare)	0.0228
25	37//20/2/3	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0228 (Hectare)	0.0228
26	37//20/3/1	Private	Gair Mumkin Plot/Petrol Pump	0.0405 (Hectare)	0.0405
27	37//20/3/2	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0253 (Hectare)	0.0253
28	37//20/3/3	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0228 (Hectare)	0.0228
29	38//14	Private	Gair Mumkin	0.0278 (Hectare)	0.0278
30	38//15	Private	Gair Mumkin Karkhana	0.0455 (Hectare)	0.0455
31	38//16	Private	Gair Mumkin	0.0228 (Hectare)	0.0228
Village: Mandiala (268)					
32	10//26	Private	Gair Mumkin	0.0253 (Hectare)	0.0253
Village: Thande (273)					
33	47//7/2	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
34	47//8	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
Village: Rampura (362)					
35	45//19	Private	Agriculture	0.0123 (Hectare)	0.0123
36	45//2	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004

37	47//3	Private	Agriculture	0.0073 (Hectare)	0.0073
Village: Khur Manian (364)					
38	39//2	Private	Agriculture	0.0308 (Hectare)	0.0308
39	4//19	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
Village: Chakmukand (363)					
40	13//2	Private	Agriculture	0.0109 (Hectare)	0.0109
41	13//22	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
Total					1.3658

[F. No. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director